न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

अपील सं0 17/2021

1. सरोज पत्नी प्रभात पुत्री भागवन्ती जाति धानक साकिन फरवाई तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

– अपीलांट

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (भू.अ.) भादरा दिनांक 06.01.2021

उपस्थितः– श्री हवासिंह पुनियां अधिवक्ता, अपीलांट

राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय **दिनांकः–09.03.2022**

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः–

1. अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकृत निर्णय विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य है।
2. भागवंती पत्नी जगमाल जाति धानक साकिन मलखेड़ा तहसील भादरा ने जरिये बैयनामा दिनांक 20.05.2013 को रोही मौजा कणाउ तहसील भादरा जमाबंदी के खाता संख्या 93/92 के ख.न. 25/5 की कुल 2.5760 हैक्टयर खरीद की थी जिसकी अपने जीवल काल में ही एक वसीयत दिनांक 08.08.2013 को उप पंजीयक भादरा की अदालत में अपनी पुत्री सरोज पत्नी प्रभात पुत्री भागवन्ती जाति धानक साकिन फरवाई तहसील जिला सिरसा (हरियाणा) के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी भागवंती पत्नी जगमाल का दिनांक 17.01.2015 को देहांत हो गया इसलिए बाद देहांत भागवंती पत्नी जगमाल, सरोज पत्नी प्रभात पुत्र भागवन्ती जाति धानक साकिन फरवाई तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा) विवादित भूमि की खातेदार काश्तकार हुई। इसलिए मुताबिक वसीयत दिनांक 08.08.2013 के आधार पर विवादित भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

तहसीलदार भादरा को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद सुनवाई दिनांक 06.01.2021 को खारिज कर दिया जो की निरस्त योग्य है।

3. मातहत अदालत ने निर्णय करने से पूर्व कानूनी स्थिति का गहन अवलोकन नहीं किया कानूनी स्थिति के मुताबिक वसीयत किसी के पक्ष में की जा सकती है ना ही उपनिवेशन अधिनियम में ऐसा प्रावधान है की राजस्थान के व्यक्ति द्वारा हरियाणा के व्यक्ति को वसीयत नही कि जा सकती उसके बावजूद भी विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जो की निरस्त योग्य है।

4. अपीलांट ने मातहत अदालत में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को साबित करने के लिए पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई जिस पर पटवारी हल्का रिपोर्ट में दर्ज किया कि विवादित भूमि वसीयतकर्ता की स्वअर्जित भूमि है एवं किसी प्रकार का विवाद व स्थगन आदेश नही है उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। मातहत अदालत में विवादित भूमि एवं वसीयत बाबत कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है।मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

5. मातहत अदालत ने अपने निर्णय में दर्ज किया है कि विवादित भूमि की वसीयत राजस्थान के काश्तकार द्वारा हरियाणा के व्यक्ति को की गई है जो उपनिवेशन अधिनियम के तहत अवैध हस्तानान्तरण का प्रकरण है। उक्त तथ्यों को आधार मानकर निर्णय किया है। कानूनी स्थिति के मुताबिक वसीयत वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा है जो अपने नाम दर्ज खातेदार भूमि की किसी के भी पक्ष में वसीयत कर सकता है। मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

6. पत्रावली में तारीख पेशी नहीं दी गई थी गुपचुप तरीके से दिनांक 06.01.2021 को निर्णय कर दिया। पत्रावली की जानकारी प्राप्त की तो निर्णय की होने की जानकारी हुई उसी समय नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के तुरन्त अपील पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

अपील अपीलांट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 06.01.2021 निरस्त कर विवादित भूमि मुताबिक वसीयत दिनांक 08.08.2013 के आधार पर अपीलांट के नाम इंतकाल दर्ज करने का आदेश फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो कि गलत किया है। वसीयतकर्ता द्वारा स्वअर्जित सम्पति की वसीयत की गई है। वसीयत किसी को भी की जा सकती है। वसीयत विक्रय की श्रेणी में नही आता है। अधिवक्ता अपीलांट ने **DNJ 2008** पेज न0 व 73 **RT ACT** धारा 39 पेज न0 118 से 121 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 31 मार्च 2008 अनवान के.के. बिड़ला बनाम राजेन्द्र सिंह लोढ़ा व अन्य आदि न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में त्रूटि की है एवं अपीलांट द्वारा पेश दस्तावेजों पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार (भू.अ.), भादरा दिनांक 06.01.2021 निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए तीन माह में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय की प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/3/2022

(भागीरथ शाख RAS)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर(हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)